(ख) यद्यपि नरेला दिल्ली नगर निगम के प्रोदेशिक अधिकार क्षेत्र में ही है, वहां पर विद्युत का उत्पादन, सम्भरण और वितरण एक प्राईवेट लाइसेंसदार नामतः राष्ट्रीय विद्युत सम्भरण तथा व्यापार निगम (प्राईवेट) लिमिटिड [National Electric Supply and Trading Corporation (Private) Ltd.] का उत्तरदायित्व है। दरों में अन्तर का कारण नरेला में विद्युत उत्पादन और सम्भरण का अधिक लागत हो है।

(ग) इस समय कोई भी तारीख नहीं बताई जा सकती।

**नरेला (दिल्ली) की गलियों में बिजली**

२४६५. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नरेला के दिल्ली नगर निगम के नागरिक नियंत्रण के अधीन आने के पहले भूतपूर्व अधिसूचित क्षेत्र समिति, नरेला द्वारा वहां सड़कों पर बिज्ली का प्रबन्ध था ;

(ख) क्या यह सच है कि निगम द्वारा सड़कों से बिजली हटा ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस के कारण क्या हैं ?

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). सड़कों पर लगी बिजली का साजसामान हटाया नहीं गया, बल्कि मैसर्स नेशनल इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रेडिंग कार्पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड ने ७-६-१९६० से बिजली देना बन्द कर दिया क्योंकि भूतपूर्व अधि-सुचित क्षेत्र समिति नरेला के साथ उनके करार की मियाद इस तारीख को खत्म हो गई। देहली नगर निगम ने मैसर्स नेशनल इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रेडिंग कार्पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड को बिजली बांटने का जो लाइसेंस दिया था वह मन्सूख कर दिया और हिदायत की कि साजसामान निगम के देहली बिजली प्रदाय उपक्रम को हस्तांतरित कर दिया जाए। लेकिन कम्पनी ने अदालत से निषेधाज्ञा (इन्जेक्शन) हासिल कर ली जिससे निगम पर यह रोक लग गई कि वह साजसामान न ले। सरकार अभी इस मसले का अन्तिम हल नहीं निकाल पाई है। अभी काम चलाने के लिये, निगम द्वारा मिट्टी के तेल से जलने वाले ८० लालटेन दे दिए गये हैं।

**टेलीफोन के कॉल का किराया**

२४६६. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) गाजियाबाद से दिल्ली और (२) नरेला से दिल्ली तक प्रत्येक सामान्य टेलीफोन काल का शुल्क क्या है ;

(ख) नरेला के लिये टेलीफोन काल की दरें ऊंची होने के कारण क्या हैं, विशेष रूप से जब कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है और नरेला दिल्ली में; और

(ग) इन दरों मे समता लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) (१) स्थानीय टेलीफोन काल का शुल्क १२ न० पै०।

(२) तीन मिनट के सामान्य टेलीफोन काल के लिए ६० न० पै०।

(ख) दिल्ली और गाजियाबाद के बीच इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं कि उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को डायल करके स्वयं टैलीफोन मिला सकता है और ऐसी कालों को ट्रंक टेलीफोन प्रचालकों द्वारा मिलाने की आवश्यकता नहीं रहती। नरेला की दूरी अधिक है और टेलीफोन कालों